संख्या- 172/2025/ 1084/चार-2025-1888572

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2025**

विषय:- प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अन्तर्गत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कला कुम्भ के प्रदर्शनी के शुभारम्भ के अवसर पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 6114/सं0नि0-15(112)/2024-25, दिनांक 25 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अन्तर्गत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कला कुम्भ के प्रदर्शनी के शुभारम्भ के अवसर पर होने वाले व्यय धनराशि **रू0 15,24,995/-** की निम्नानुसार स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया गया है :-

क्र0	नाम	विधा	मानदेय	किराया	कुल धनराशि
1	श्री शीतला प्रसाद वर्मा, अयोध्या	फरूवाही लोक नृत्य	40000	13200	53200
2	सुश्री संगीता आहूजा, अयोध्या	बधावा लोक नृत्य	40000	13200	53200
3	श्री खजान सिंह, मथुरा	बम रसिया	40000	42900	82900
4	श्री दीपक शर्मा, वृन्दावन	मयूर लोक नृत्य	40000	42900	82900
5	श्री रमेश पाल, बांदा	दीवारी/ पाई डण्डा लोक नृत्य	40000	18150	58150
6	सुश्री इमराम खान, झांसी	राई लोक नृत्य	40000	33000	73000
7	श्री आनन्द किशोर, प्रयागराज	ढेढ़िया लोक नृत्य	40000	0	40000
8	सुश्री प्रीति सिंह	ढेढ़िया लोक नृत्य	40000	0	40000
9	श्री संतोष कुमार, कौशाम्बी	मसकवीन	40000	4950	44950
10	श्री संजय कुमार, गाजीपुर	धोबिया लोक नृत्य	40000	16500	56500
11	श्री राम प्रवेश यादव, गाजीपुर	कहरवा लोक नृत्य	40000	16500	56500
12	श्री सुक्खन, सोनभद्र	मादल आदिवासी नृत्य	40000	13200	53200
योग (अ)-			480000	214500	694500

कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों हेतु कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत है :-

क्र0	फर्म का नाम	बिल संख्या/ बिल दिनांक	धनराशि
1	मे0 एम0आर0 ट्रेवेल्स, लखनऊ	491/01.02.2025	21752
2	मे0 फैलिस इवेन्ट एण्ड हास्पिटैलिटी सर्विसेज, लखनऊ	24-106/15.01.2025	264064
		24-105/15.01.2025	536999
		24-108/15.01.2025	7680
		योग (ब)-	830495
		कुल योग (अ + ब)	**1524995**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अन्तर्गत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कला कुम्भ के प्रदर्शनी के शुभारम्भ के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय धनराशि **रू0 15,24,995/- (रूपये पन्द्रह लाख चौबीस हजार नौ सौ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

पिच्चानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in